



2026:AHC:31706

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या – 2885/2026

धीरेंद्र प्रताप सिंह

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्य

.....प्रतिवादी

याची के अधिवक्ता : अजय सुब्रत सिंह, शिव किंकर सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : आजाद राय, मुख्य स्थायी अधिवक्ता, चंद्र भान यादव,

राजेश कुमार

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 38(3) के अंतर्गत शुरू की गई कार्यवाही में वाद संख्या 1362 / 2025 में प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात् कलक्टर/जिलाधिकारी, कौशाम्बी द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.12.2025 चुनौती के अधीन है।
2. प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा एक प्रारंभिक आपति उठाई गई है कि उपरोक्त आदेश के विरुद्ध याची के पास उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 38 की उप-धारा (4) के प्रावधानों के अनुसार अपील दाखल करने का वैधानिक वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है।
3. मामले के इस पहलू को देखते हुए, रिट याचिका वैधानिक वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के आधार पर खारिज की जाती है।
4. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह वर्तमान रिट याचिका में चुनौती दिए गए आदेश की प्रमाणित प्रति, उसकी फोटो-कॉपी रिकॉर्ड पर रखने के पश्चात, याची के अधिवक्ता को वापस कर दे।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

12 फरवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"